फर्द अहकाम

जगदीश नारायण व अन्य बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर

ना पत्रः 471/25

	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	06.06.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम रामपुराऊंती, पटवार हल्का रामपुराऊंती, भू.अभि.नि. क्षेत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थी संख्या 1 की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1019 रकबा 0.98 है0 व प्रार्थी संख्या 2 की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1228 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1229 रकबा 0.43 है0 का सीमाज्ञान उपतहसीलदार बगरू के आदेश क्रमांक:एल0आर0/25/960 दिनांक 20.05.2025 की पालना में दिनांक 23.05.2025 को उपस्थित खातेदारो के समक्ष खसरा नम्बर 995 किश्म गै.मु. चाह से जरीब चलाकर 1019 का उत्तरी कोनाकाया किया गया मिलान खसरा संख्या 1058 किश्म गै.मु.चाह.से किया गया तत्पश्चात खसरा नम्रबान 1228, 1229 व 1019 की चारो सीमा का सीमांकन कर सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.05.2025 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बाबत् भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थी ने प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम रामपुराऊंती, पटवार हल्का रामपुराऊंती, भू.अभि.नि. क्षेत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बरान 1228, 1229 व 1019 का सीमाज्ञान फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 23.05.2025 के अनुसार उभयपक्षो की उपस्थिति में पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	